रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 498] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 1977/अग्रहायण 7, 1899

No. 498] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 1977/AGRAHAYANA 7, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Ministry of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 28th November 1977

S.O. 787(E)/18A/IDRA/77.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No S.O. 727(E)/18A/IDRA/72, dated the 29th November, 1972, (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertaking known as Messrs. Containers and Closures Limited Calcutta had been taken over for a period upto and inclusive of the 28th November, 1977,

And, whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period of two years;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 28th November, 1979

[No F 2/17/72-CUC]

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1977

का० आ० 787 (अ)/18क/उ०वि०वि०अ०/77.—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 727(अ)/18क/उ० वि० वि० अ०/72, तारीख 29 नवम्बर, 1972 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), मेसर्स कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स लिमिटेड कलकत्ता, नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 28 नवम्बर, 1977, जिस में यह तारीख भी सम्मिलित है, तक की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश दो वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे,

अत, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 28 नवम्बर, 1979, जिस में यह तारीख भी सम्मिलित है, तक की और अवधि तक प्रभावी बना रहेगा।

[सं० फा० 2/17/72-सी० यू० सी०]

S.O. 788(E)/18FB/IDRA/77.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No S.O. 34(E)/18FB/IDRA/73, dated the 19th January, 1973 (hereinafter referred to as the said Order) the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order in the Official Gazette (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Containers and Closures Limited, Calcutta, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking, shall remain suspended upto the 18th January 1974, and that the all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended upto the 18th January 1974;

And, whereas the duration of the said Order was extended from time to time upto the 28th November, 1977,

And, whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto and inclusive of the 18th January, 1978;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 18th January 1978

[No. F 2/17/72-CUC]

G. V. RAMAKRISHNA, Addl. Secy.

का० आ० 788(अ)/18चख/उ० वि० वि० अ०/77.—केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 34(अ)/18 च ख/उ० वि० वि० आ०/73, तारीख 19 जनवरी, 1973 द्वारा (जिसे इस में इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) यह घोषणा की थी कि राजपत्र में उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाएं, संपत्ति के हस्तान्तरण पत्र, करार व्यवस्थापन, पंचाट, स्थायी आदेश या अन्य लिखत (उन से भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं) जिनका मैसर्स कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हो सकते हों, 18 जनवरी, 1974 तक निलंबित रहेंगे और उक्त तारीख से पूर्व उस के अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व 18 जनवरी, 1974 तक निलम्बित रहेंगे;

और उक्त आदेश की अवधि समय-समय पर 28 नवम्बर,, 1977 तक बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 18 जनवरी 1978, जिस में यह दिन भी सम्मिलित है, तक की और अवधि के लिए बढ़ा दी जानी चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 18 जनवरी, 1978 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, के लिए बढ़ाती है ।

[स० फा० 2/17/72-सी० यू० सी०]

जी० वी० रामाकृष्णा, अपर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977